



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03032023-244115  
CG-DL-E-03032023-244115

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 128]  
No. 128]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 3, 2023/फाल्गुन 12, 1944  
NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 3, 2023/PHALGUNA 12, 1944

वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)  
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)  
आय-कर  
शुद्धिपत्र  
नई दिल्ली, 3 मार्च, 2023

सा.का.नि. 164(अ).—भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, (केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) के राजपत्र, भारत के राजपत्र में प्रकाशनार्थ, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित अधिसूचना धारित सं. सा.का.नि. 95(अ), दिनांक 14 फरवरी, 2023 में:—

(i) पृष्ठ 15 पर,—

(क) तालिका के मद (क), पंक्ति 7 में निम्नलिखित तालिका को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

क्रम सं.	पूर्व वर्ष में जिसमें आस्तियां अंतरित की गई हैं	वह धारा जिसके अधीन उस वर्ष में जिसमें कटौती का दावा किया गया है।	नई आस्तियां अर्जित / निर्मित की गई हैं		नई आस्तियों के लिए उपयोग नहीं की गई या पूंजी अभिलाभ खाता (भ) में उपयोग में नहीं लाई गई बची हुई राशि
			वर्ष जिसमें आस्तियां अर्जित / निर्मित की गई हैं	पूंजी अभिलाभ खाता में से उपयोग की गई नई राशि	
i	2018-19	54घ/54छ/54छक			
ii	2019-20	54घ/54छ/54छक";			

(ख) मद (ख) के पश्चात्, पंक्ति 7 में “Xi + ख”, अक्षरों व अंकों के स्थान पर “Xi + Xii + ख” अक्षरों व अंकों का प्रतिस्थापन किया जाएगा;

(ii) पृष्ठ सं. 17 पर,—

(क) तालिका के मद (क) के पंक्ति 10 में निम्नलिखित तालिका प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

क्रम सं.	पूर्व वर्ष में जिसमें आस्तियां अंतरित की गई है	वह धारा जिसके अधीन उस वर्ष में जिसमें कटौती का दावा किया गया है।	नई आस्तियां अर्जित / निर्मित की गई है		नई आस्तियों के लिए उपयोग नहीं की गई या पूंजी अभिलाभ खाता (भ) में उपयोग में नहीं लाई गई बची हुई राशि
			वर्ष जिसमें आस्तियां अर्जित / निर्मित की गई है	पूंजी अभिलाभ खाता में से उपयोग की गई नई राशि	
i	2018-19	54घ/54छ/54क			
ii	2019-20	54घ/54छ/54क”;			

(ख) मद (ख) के पश्चात्, पंक्ति 10 में “Xi + ख” अक्षरों व अंकों के स्थान पर “Xi + Xii + ख” अक्षरों व अंकों का प्रतिस्थापन किया जाएगा;

(iii) पृष्ठ सं. 18 पर, तालिका के नीचे पंक्ति ड. में, “ख8\* + ख9ड.\* + ख11क1\*”, अक्षरों व अंकों के लिए “ख8\* + ख11क1\*” अक्षरों व अंकों का दोनों स्थानों पर प्रतिस्थापन किया जाएगा;

(iv) पृष्ठ सं. 20 पर, पंक्ति 2, मद(ग) में, “विशेष दर पर प्रभार्य कोई अन्य आय (गां से गxv का कुल)”, शब्दों व कोष्ठकों के लिए “विशेष दर पर प्रभार्य कोई अन्य आय (गां से गxiv का कुल)” शब्दों व कोष्ठकों का प्रतिस्थापन किया जाएगा;

(v) पृष्ठ सं. 22 पर,—

(क) पंक्ति 7 में, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

7	लाभ तथा हानि लेखा में विकलित व्यय धारा 115खखज के तहत प्रभार्य आय से संबंधित अन्य शीर्ष के तहत परिकलित आय	क	गृह संपत्ति	7क
		ख	पूंजी अभिलाभ	7ख
		ग	अन्य स्रोत	7ग
		घ	धारा 115खखज (अधिग्रहण की लागत के अलावा)	7घ

(ख) पंक्ति 8 में, अंकों तथा शब्दों के लिए “7ख + 7ग”, “7ख + 7ग + 7घ” अंकों तथा शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(vi) पृष्ठ 32 पर,—

(क) पंक्ति 16 में, भाग ख- टी.आई के नीचे “(अनुसूची 1115खखज के क्र.सं.7)” कोष्ठकों, शब्दों तथा अंकों के लिए “(क्र.सं. 13-14-15)” कोष्ठकों, शब्दों तथा अंकों का प्रतिस्थापन किया जाएगा;

(ख) पंक्ति 11 के पश्चात्, संख्यांकित पंक्ति “13”, “14” एवं “15” को क्रमशः “12”, “13” एवं “14” पुनर्संख्यांकित किया जाएगा;

(vii) पृष्ठ 34 पर, पंक्ति 4 में, मद (vi) में, “(iv) + (v) + (vi)”, कोष्ठकों तथा अंकों के लिए “(iv) + (v)” कोष्ठकों तथा अंकों का प्रतिस्थापन किया जाएगा;

(viii) पृष्ठ 35 पर,—

- (क) पंक्ति 11 व 12 में, शब्दों व अंकों में “10 में शामिल” “9 में शामिल” शब्दों व अंकों को दोनो स्थानों पर प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ख) पंक्ति 13 में, “धारा 10 के खंड (23ग) के बाइसवें परंतुक अथवा धारा 13 की उपधारा(10) के तहत कर प्रभार्य आय (10-11-12-13)” शब्दों, कोष्ठकों तथा अंकों के लिए “धारा 10 के खंड (23ग) के बाइसवें परंतुक अथवा धारा 13 की उपधारा(10) के तहत कर प्रभार्य आय (9-10-11-12)” शब्दों, कोष्ठकों तथा अंकों का प्रतिस्थापन किया जाएगा;
- (ग) पंक्ति 1, भाग ख – टी.टी.आई के नीचे, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

<b>1</b>	<b>कुल आय पर संदेय कर</b>		
क	सामान्य दरों पर कर [क्र. सं. (13-14) भाग ख- कुल आय के भाग ख 2 के] या [क्र. सं. 13 , भाग ख- कुल आय के भाग ख 3 के]	1क	
ख	विशेष दरों पर कर (अनुसूची एस.आई का (ii) का योग)	1ख	
ग	@ 30%की दर से धारा 115खखग के तहत अज्ञात संदान पर कर [क्र. सं. 15, भाग ख- कुल आय के भाग ख 1 के ] या [क्रम सं. 11, भाग ख- कुल आय के भाग ख 3 के]	1ग	
घ	@ 30% की दर से 115खखझ के तहत प्रभार्य आय पर कर [क्रम सं. 16, भाग ख- कुल आय के भाग ख 1 के] या [क्रम सं. 12, भाग ख- कुल आय के भाग ख 3 के]	1घ	
ङ	अधिकतम सीमांत दरों पर कर क्रम सं. 14, भाग ख- कुल आय के भाग ख 2 के	1ङ	
च	कृषि आय पर छूट [भाग ख2 में अनुप्रयुक्त यदि (10-11) भाग ख- कुल आय अधिकतम राशि कर प्रभार्य से अधिक नहीं है।]	1च	
छ	कुल आय पर कर संदाय (1क + 1ख +1ग +1घ + 1ङ -1च)	1छ”;	

(ix) पृष्ठ 37 पर, पंक्ति ख में “प्ररूप सं.16ख/16ग/16घ प्रस्तुत है” शब्दों, अंकों तथा अक्षरों के स्थान पर “प्ररूप सं.16ख/16ग/16घ/16ङ. प्रस्तुत है” शब्दों, अंकों तथा अक्षरों का प्रतिस्थापन किया जाएगा।

[अधिसूचना सं. 11/2023/फा. सं. 370142/2/2023 – टीपीएल]

रमन चोपड़ा, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF FINANCE**

**(Department Of Revenue)**

**(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)**

**INCOME-TAX**

**CORRIGENDUM**

New Delhi, the 3rd March, 2023

**G.S.R. 164(E).**—In the notification of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue (Central Board of Direct Taxes), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 95(E), dated the 14<sup>th</sup> February, 2023:—

(i) at page 51,—

(a) in for the table under item (a) under row 7, the following table shall be substituted, namely:—

“Sl.	Previous year in which asset transferred	Section under which deduction claimed in that year	New asset acquired/ constructed		Amount not used for new asset or remains unutilised in Capital gains account (X)
			Year in which asset acquired/ constructed	Amount utilised out of Capital Gains account	
i	2018-19	54D/54G/54GA			
ii	2019-20	54D/54G/54GA”;			

(b) in the row after item (b) under row 7, for the letters and figure “Xi + b”, the letters and figures “Xi + Xii + b” shall be substituted;

(ii) at page 53,—

(a) in for the table under item (a) under row 10, the following table shall be substituted, namely:—

“Sl.	Previous year in which asset transferred	Section under which deduction claimed in that year	New asset acquired/ constructed		Amount not used for new asset or remains unutilised in Capital gains account (X)
			Year in which asset acquired/ constructed	Amount utilised out of Capital Gains account	
i	2018-19	54D/54G/54GA			
ii	2019-20	54D/54G/54GA”;			

(b) in the row after item (b) under row 10, for the letters and figure “Xi + b”, the letters and figures “Xi + Xii + b” shall be substituted;

(iii) at page 54, in the table under row E, for the letters and figures “B8\* + B9e\* + B11a1\*\*”, the letters and figures “B8\* + B11a1\*\*” shall be substituted in both places;

(iv) at page 55, in row 2, in item (c), for the words, brackets and letters “Any other income chargeable at special rate (total of ci to cxv)”, the words, brackets and letters “Any other income chargeable at special rate (total of ci to cxiv)” shall be substituted;

(v) at page 58,—

(a) for the row 7, the following shall be substituted, namely:—

“7	Expenses debited to profit and loss account considered under other heads of income/ related to income chargeable u/s 115BBH	a	House property	7a	
		b	Capital gains	7b	
		c	Other sources	7c	
		d	u/s 115BBH (other than cost of acquisition)	7d”;	

(b) in row 8, for the figures and letters, “7b + 7c”, the figures and letters “7b + 7c + 7d” shall be substituted;

(vi) at page 66,—

(a) in row 16, under Part B-TI, for the brackets, words and figures “(Sl.No 7 of Schedule 115BBI)”, the brackets, words and figures “(Sl.No.13-14-15)” shall be substituted;

(b) after row 11, the rows numbered as “13”, “14” and “15” shall be renumbered as “12”, “13” and “14”, respectively;

(vii) at page 67, in the row 4, in item (vi), for the brackets and figures “(iv) + (v) + (vi)”, the brackets and figures “(iv) + (v)” shall be substituted;

(viii) at page 68,—

(a) in row 11 and 12, for the words and figure “included in 10”, the words and figure “included in 9” shall be substituted in both places;

(b) in row 13, for the words, brackets and figures “Income chargeable to tax u/s twenty-second proviso to clause (23C) of section 10 or sub-section (10) of section 13 (10-11-12-13)”, the words, brackets and figures “Income chargeable to tax under twenty-second proviso to clause (23C) of section 10 or sub-section (10) of section 13 (9-10-11-12)” shall be substituted;

(c) for the row 1, under Part B-TTI, the following shall be substituted, namely:—

“1	Tax payable on total income		
a	Tax at normal rates on [Sl. No. (13 - 14) of Part B2 of Part B-TI] OR [Sl. No. 13 of Part B3 of Part B-TI]	1a	
b	Tax at special rates (total of col. (ii) of Schedule-SI)	1b	
c	Tax on anonymous donation u/s 115BBC @30% on [Sl. No. 15 of Part B1 of Part B-TI] OR [Sl. No. 11 of Part B3 of Part B-TI]	1c	
d	Tax on income chargeable u/s 115BBI @30% on [Sl. No. 16 of Part B1 of Part B-TI] OR [Sl. No. 12 of Part B3 of Part B-TI]	1d	
e	Tax at maximum marginal rate on Sl. No. 14 of Part B2 of Part B-TI	1e	
f	Rebate on agricultural income [ In Part B2, applicable if (10-11) of Part B-TI exceeds maximum amount not chargeable to tax]	1f	
g	Tax Payable on Total Income (1a+ 1b+1c+ 1d+1e- 1f)	1g”;	

(ix) at page 69, in row B, for the words, figures and letter “Form No. 16B/16C/16D furnished”, the words, figures and letter “Form No. 16B/16C/16D/16E furnished” shall be substituted.

[Notification No. 11/2023/F. No. 370142/2/2023–TPL]

RAMAN CHOPRA, Jt. Secy.